



सेवा में,

श्रीमान् खास महाल पदाधिकारी,
मेदिनीनगर, पलामू।

विषय :- लीज बन्दोबस्ती / नवीकरण करने के संबंध में।

महाशय,

सविनय निवेदन है कि मैं विमला टोप्यो पिता स्व० तुरिया उरांव जाति अनुसूचित जन जाति उरांव, निवासी मुहल्ला जेलहाता, पो०+थाना- मेदिनीनगर, जिला पलामू राज्य झारखण्ड, पेशा से नर्स हूँ।

विदित हो कि खास महाल हो० नं०- 247, प्लॉट नं०- 660 / 665 / 1724, रकबा- 0.47 एकड़ जमीन का आवासीय लीज 17.11.1932 से दिनांक 17.11.1962 ई० तक श्री नथुनी प्रसाद महथा के नाम से स्वीकृत था जो वर्ष 1962 में लीज समाप्त हो चुका है। लीजधारी के वंशज श्रीमति मीरा महथा पति अमरेन्द्र प्रसाद एवं मंजू महथा पति स्व० अजीत कुमार महथा एवं प्रदुमन प्रसाद पिता जगत पाल महथा, निवासी मुहल्ला जेलहाता से 2100000/- (ईक्किस लाख रुपये) में 7 1/4 (सात पूर्णांक एक बड़ा चार डी०) जमीन एकरारनामा (एग्रिमेन्ट) द्वारा खरीद कर दखल-कब्जा एवं स्वामित्व का उपयोग कर रही हूँ। मैं इस जमीन पर मकान बना कर लगभग 50 (पचास) वर्षों से रहती चली आ रही हूँ मैं गरीब अनुसूचित जन जाति (उरांव) जाति की महिला हूँ मैं अपनी गरीबी के कारण सरकार द्वारा निर्धारित सलामी तथा बकाया लगान की राशि देने में मैं अपने आप को असमर्थ पाती हूँ। वर्तमान समय में राज्य सरकार द्वारा लीज बन्दोबस्ती / नवीकरण के लिए पत्रांक सं०- 817 दिनांक 22.02.2018 में किए गये सस्ते दर पर सलामी एवं लगान लेकर अनुसूचित जन जाति के दखल-कब्जे / आवासीय व्यक्तियों के साथ रिक्त पुनर्गृहित भूमि की लीज बन्दोबस्ती के प्रावधान के अनुसार मैं आती हूँ।

अतः श्रीमान् से नम्र निवेदन है कि आर्थिक रूप से काफी कठिनाई के दौर से गुजर रही अनुसूचित जन जाति की आवेदिका के नाम से सरकार के द्वारा किए